

अध्याय—II: राज्य आबकारी

2.1 कर प्रशासन

अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा, जैसे देशी मदिरा (दे0म0) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) विनिर्मित की जाती है। आसवनियों एवं यवासवनियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर राज्य के आबकारी राजस्व¹ का प्रमुख भाग होता है। आबकारी अभिकर के अतिरिक्त, अनुज्ञापन शुल्क² भी आबकारी राजस्व का भाग होता है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 एवं उसके अधीन बने नियमों, मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर एवं लागू अनुज्ञापन शुल्क के आरोपण एवं उद्ग्रहण को नियंत्रित करते हैं।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (राज्य आबकारी) राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। आबकारी आयुक्त (आ0आ0) विभाग के प्रमुख होते हैं जिनको दो अपर आबकारी आयुक्त (अ0आ0आ0) सहायता करते हैं। विभाग के पाँच जोन हैं जिनके प्रमुख संयुक्त आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0) होते हैं, जिनको 18 उप आबकारी आयुक्त (उ0आ0आ0) सहायता करते हैं। सहायक आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0) जिले के प्रमुख होते हैं। आबकारी अभिकर और उससे जुड़ी उगाही के आरोपण/संग्रहण का नियंत्रण व विनियमन करने में आबकारी निरीक्षक (आ0नि0) इनकी सहायता करते हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जिला अधिकारी के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आबकारी प्राप्तियों के संग्रह एवं लेखाकरण के प्रभारी होते हैं।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2018-19 के दौरान, विभाग की 128 लेखापरीक्षित इकाइयों में से 39³ इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 2,414 मामलों में सन्निहित ₹ 1,839 करोड़ के आबकारी अभिकर/अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज के न/कम प्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं जैसा कि सारणी 2.1 में उल्लिखित किया गया है।

सारणी 2.1

क्र0 सं0	श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी सामग्री के उपभोग की मात्रा छिपाने के कारण राजस्व की वसूली न होना एवं उस पर ब्याज	01	1,646.04
2	आबकारी अभिकर का कम वसूल होना	106	16.10
3	अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज की वसूली न किया जाना	1,391	151.93
4	अन्य अनियमितताएँ ⁴	916	24.93
योग		2,414	1,839.00

वर्ष 2018-19 में इंगित किये गये तीन मामलों को विभाग ने अप्रैल 2019 एवं अगस्त 2020 के मध्य में स्वीकार किया तथा ₹ 2.70 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया। अग्रेतर, वर्ष 2018-19 के पूर्व के लेखा परीक्षा प्रेक्षणों के संबंध में, विभाग ने

¹ 2017-18 के कुल आबकारी राजस्व में दे0म0 50 प्रतिशत, भा0नि0वि0म0 34 प्रतिशत, बीयर 12 प्रतिशत एवं अन्य चार प्रतिशत था।

² दे0म0, भा0नि0वि0म0, बीयर, बार, आसवनियों, यवासवनियों, फार्मेशियों, आदि के अनुज्ञापियों और अन्य विनिर्माण इकाइयों जो कि अल्कोहल को कच्चा माल के रूप में उपयोग करती हैं, पर अनुज्ञापन शुल्क लागू होता है।

³ इसमें आबकारी आयुक्त (विभाग के प्रमुख), 15 जिला आबकारी अधिकारी व 23 आसवनियों सम्मिलित हैं।

⁴ अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के लिये शास्ति का अनारोपण, अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन प्राप्त करने में विफलता के कारण प्रशमन धनराशि का कम आरोपण, मदिरा की बिक्री एम0आर0पी0 से अधिक पर किये जाने के मामलों में उचित कार्यवाही न किया जाना, न्यूनतम आसवन क्षमता प्राप्त करने के लिये शास्ति का अनारोपण, आदि।

(अक्टूबर 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य) 53 मामलों में ₹ 55.29 करोड़ की धनराशि को स्वीकार किया तथा 51 मामलों में ₹ 4.76 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया।

इस अध्याय में ₹ 1,665.34 करोड़ मूल्य के 548 मामलों की विवेचना की गयी है। विभाग ने ₹ 71.62 लाख की धनराशि के 40 मामलों को स्वीकार किया। इनमें से कुछ अनियमितताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार-बार प्रतिवेदित किया गया जैसा कि सारणी-2.2 में वर्णित है। इंगित की गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। इसलिए यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिए शासन/विभाग सभी इकाइयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।

सारणी-2.2

प्रेक्षण की प्रकृति	(₹ करोड़ में)											
	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता	-	-	32	3.66	1,007	37.43	14,334	1,297.07	714	58.85	16,087	1,397.01
भा0नि0वि0म0 की छोटी बोटलों के ई0डी0पी0 की गलत गणना के कारण अतिरिक्त आबकारी अभिकर की हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.98	-	227.98

2.3 आबकारी सामग्री के उपभोग की मात्रा छिपाने के कारण राजस्व एवं उस पर ब्याज की वसूली न होना

आबकारी विभाग 2013-14 से 2016-17 की अवधि में निर्धारित द्वारा उपभोग की गयी इनपुट की मात्रा तथा निर्मित परिणामी उत्पाद की प्रभावी निगरानी करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,646.04 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 यह प्रावधानित करती है कि कोई स्थापित आसवनी या उक्त अधिनियम की धारा 18क के अंतर्गत अनुज्ञापित कोई आसवनी या यवासवनी में निर्मित किसी आबकारी अभिकर आरोपण योग्य पदार्थ पर ऐसी दर या दरों पर जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे, आबकारी अभिकर आरोपित किया जा सकता है।

संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910, की धारा 38क के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ किसी आबकारी राजस्व का भुगतान उसके देय होने के दिनांक से तीन माह के भीतर न किया गया हो, वहाँ 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज ऐसे आबकारी राजस्व के देय होने के दिनांक से वसूलनीय है।

इनपुट उत्पादों के रूप में उपयोग किए जाने वाले शीरे, अनाजों एवं माल्ट को एक मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में रिफ्ट/वाश प्राप्त करने के लिए किण्वित एवं आसवित किया जाता है, जो शराब और अन्य मादक पदार्थों जैसे अंतिम उत्पादों का उत्पादन करने के लिए पुनर्आसवित, मिश्रित, सम्मिश्रित, परिष्कृत एवं पतला किया जाता है। उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल के नियम 813 के अनुसार, उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान अधिकतम मासिक संग्रहण क्षीजन 0.4 प्रतिशत तक अनुमन्य है।

सहायक आबकारी आयुक्त, वेव आसवनी एवं यवासवनी लिमिटेड, अलीगढ़ के कार्यालय की लेखापरीक्षा (अगस्त 2019) के दौरान, 2013-14 से 2016-17 तक की अवधि के लिए वेव आसवनी एवं यवासवनी लिमिटेड अलीगढ़ के सम्बन्ध में शराब के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों जैसे कि शीरा, माल्ट, इक्स्ट्रा न्यूट्रल

अल्कोहल (ईएनए), ग्रेन स्प्रिट, शोधित आसव, माल्ट स्प्रिट आदि से सम्बन्धित अभिलेखों⁵ की जाँच की गई।

लेखापरीक्षा ने निर्धारिती द्वारा आयकर विभाग (आ0वि0) के वैधानिक रिटर्न के माध्यम से प्रस्तुत शीरे/शोधित आसव/ईएनए/ग्रेन स्प्रिट/माल्ट स्प्रिट की उपभोग के आंकड़ों की तुलना सहायक आबकारी आयुक्त, वेव आसवनी एवं यवासवनी लि0, अलीगढ़ के अभिलेखों में दर्शाये गये तत्सम्बन्धी मात्राओं से की तथा पाया कि इन दो विभागों को प्रस्तुत अभिलेखों/विवरणों में बताई गई मात्रा में बहुत भिन्नता थी। प्रयुक्त सामग्री में पायी गयी विसंगतियाँ इंगित करती हैं कि निर्धारिती द्वारा इनपुटस/मध्यवर्तियों के उपभोग को कम करके बताया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 816.58 करोड़ आबकारी राजस्व का अपवंचन हुआ जिस पर ₹ 829.46 करोड़ का ब्याज आरोपणीय था जैसा सारिणी-2.3 में वर्णित है।

सारिणी-2.3

सामग्री का प्रकार	वित्तीय वर्ष ⁶	आ0वि0रि0 के अनुसार उपभोग ⁷	आबकारी विभाग के अनुसार उपभोग	अन्तर	सन्निहित आबकारी राजस्व	विलम्ब की अवधि महीनों ⁸ में	(₹ लाख में)	
							30 जून 2020 तक देय ब्याज	योग
शीरा (क्विंटल में)	2014-15	9,70,382	9,55,960	14,422	1,821.95	63	1,721.74	3,543.69
	2015-16	11,70,100	11,54,520	15,580	2,352.36	51	1,799.55	4,151.91
	2016-17	12,48,841	11,76,292	72,549	12,760.63	39	7,464.97	20,225.61
माल्ट (क्विंटल में)	2014-15	25,720	24,762	958	170.88	63	161.48	332.36
	2016-17	96,760	96,758	2	0.45	39	0.26	0.71
ईएनए/ग्रेन स्प्रिट (बल्क लीटर में)	2013-14	3,96,62,275	2,82,80,745	1,13,81,530	62,242.08	75	70,022.34	1,32,264.42
	2014-15	3,55,42,661	3,54,25,165	1,17,496	740.22	63	699.5	1,439.72
आरएस (बीएल में)	2014-15	1,65,591	1,64,543	1,048	6.53	75	7.35	13.88
ईएनए/ग्रेन स्प्रिट/आरएस (बीएल में)	2015-16	3,35,77,543	3,34,59,382	1,18,161	858.14	51	656.47	1,514.61
	2016-17	3,63,99,843	3,63,19,442	80,401	703.5	39	411.55	1,115.04
माल्ट स्प्रिट (बीएल में)	2014-15	37,352	37,187	165	0.68	63	0.64	1.31
	2015-16	21,998	21,861	137	0.69	51	0.53	1.21
योग		14,89,19,066	13,71,16,617	1,18,02,449	81,658.11		82,946.38	1,64,604.47

उपरोक्त सारिणी 2.3 इंगित करती है कि 2013-14 से 2016-17 की विस्तारित अवधि में निर्धारिती द्वारा उपभोग की गयी इनपुट की मात्रा और इसके द्वारा निर्मित परिणामी उत्पादों की प्रभावी निगरानी करने में आबकारी विभाग विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप प्रतिमाह 0.4 प्रतिशत की अधिकतम अनुमन्य छीजन की स्वीकृति देने के बाद भी शासन को ₹ 1,646.04 करोड़ की राजस्व प्राप्ति नहीं हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है।

⁵ शीरे के मासिक स्टॉक रजिस्टर (एम0एफ0-6 रजिस्टर) एवं सभी प्रकार के स्प्रिट (बीडब्ल्यूएल-5 रजिस्टर), आबकारी आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत विवरणी तथा लेखापरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं।

⁶ निम्नलिखित प्रकरणों में, स0आ0आ0 के अभिलेखों में दर्शायी गई मात्रा से कम मात्रा फार्म 3सीडी में दर्शायी गयी है:

सामग्री का प्रकार	वर्ष	फार्म 3सीडी के अनुसार उपभोग	स0आ0आ0 के अभिलेखों के अनुसार उपभोग
शीरा (क्विंटल में)	2013-14	9,94,280	9,98,360
माल्ट (क्विंटल में)	2013-14	19,160	19,161.70
	2015-16	17,610	18,570.40
माल्ट स्प्रिट (बीएल में)	2013-14	26,688	26,702
	2016-17	86,269	1,02,550
रेक्टिफाइड स्प्रिट (बीएल में)	2013-14	शून्य	3,06,807

⁷ आयकर विभाग के फार्म 3सीडी में सम्मिलित सूचना।

⁸ आबकारी राजस्व का भुगतान न करने के कारण विलम्ब की गणना सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन से 30 जून 2020 तक किया गया है।

अग्रेतर यह उल्लेख किया जा सकता है कि लेखापरीक्षा के दौरान (अगस्त 2019), लेखापरीक्षा के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर सहायक आबकारी आयुक्त, वेव आसवनी एवं यवासवनी लिमिटेड अलीगढ़ के कार्यालय ने शराब के उत्पादन में उपयोग होने वाली वस्तुओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की। हालांकि इसमें माल्ट की खपत के बारे में जानकारी प्रस्तुत नहीं की जो बीयर के उत्पादन में मुख्य इनपुट सामग्री है। इसके बाद (नवम्बर 2019) में, विभाग ने दो वर्षों अर्थात् 2014-15 और 2016-17 हेतु माल्ट के 1,666.50 क्विंटल की खपत के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत की। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रदान किये गये आंकड़े मात्र आसवनी में माल्ट खपत के सम्बन्ध में थे, हालांकि निर्धारिती की वेव आसवनी एवं यवासवनी उसी परिसर में स्थापित है। इसके बाद (फरवरी 2020), सहायक आबकारी आयुक्त, वेव आसवनी एवं यवासवनी लिमिटेड अलीगढ़ ने आसवनी एवं यवासवनी दोनों के लिए पूर्वोल्लिखित वर्षों के लिए 1,21,520.10 क्विंटल की माल्ट खपत दर्शाते हुए संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किये। माल्ट, जो बीयर के उत्पादन में एक प्रमुख इनपुट है, के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये उपभोग के आंकड़ों के पृथक सेट संदिग्ध प्रतीत होते हैं क्योंकि लेखापरीक्षा के अनुरोध के बावजूद भी सहायक आबकारी आयुक्त ने माल्ट खपत के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत संगत दस्तावेज जैसे मासिक स्टॉक आवक की प्रति एवं विवरणी उपलब्ध नहीं कराये। सहायक आबकारी आयुक्त, वेव आसवनी एवं यवासवनी लिमिटेड अलीगढ़ द्वारा प्रदान की गयी संशोधित सूचनाओं पर निकाला गया राजस्व प्रभाव ₹ 466.98 करोड़ (आबकारी राजस्व ₹ 284.78 करोड़ के साथ ब्याज ₹ 182.20 करोड़) है।

लेखापरीक्षा द्वारा सामने लाये गये तथ्यों से, एक मुख्य इनपुट अर्थात् माल्ट, जिसका राजस्व पर बहुत अधिक प्रभाव है, के आंकड़े के अलग-अलग सेट उपलब्ध कराने के अतिरिक्त चार वर्ष की अवधि में निर्धारिती द्वारा विवरणों के दबाने/छिपाने का एक स्पष्ट मामला था। इस कारण शासन को राजस्व अप्राप्ति की मात्रा बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग, ने 11 जून 2020 के अपने निर्देशों में विशेष रूप से आबकारी विभाग को यह भी सलाह दी थी कि सभी मामलों में जहाँ यह स्थापित हो जाये कि निर्धारिती ने अपने विवरणियों में तथ्यों को दबाया/छुपाया है, तो राजस्व हित की रक्षा हेतु माँग प्रेषित किया जा सकता है।

मामला दिसम्बर 2019 में विभाग और शासन के संज्ञान में लाया गया था, हालांकि, अब तक निर्धारिती से माँग किये जाने के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही की सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गयी है (सितम्बर 2020)।

संस्तुतियाँ:

सरकार :

1. निर्धारिती से माँग किये जाने और उसकी वसूली करने के लिए तत्काल कार्यवाही कर सकती है।
2. निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचनाओं का प्रतिसत्यापन अन्य कराधान प्राधिकारियों को प्रस्तुत सूचनाओं से करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।
3. इस बात की जाँच करने पर विचार कर सकती है कि कैसे मूल्यांकन अधिकारी, जो निर्धारिती के परिसर में स्थापित हैं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे, जिसके कारण निर्धारिती द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व को छिपाया गया। जिम्मेदारी उपयुक्त रूप से तय की जा सकती है।

2.4 दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (बे0अ0शु0)/ अनुज्ञापन शुल्क (अ0शु0) तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता

दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा करने के लिये लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा। इन्होंने नियमों के उल्लंघन पर व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं अनुज्ञापन शुल्क/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (₹ 8.41 करोड़) और प्रतिभूति (₹ 6.88 करोड़) की कुल धनराशि ₹ 15.29 करोड़, के समपहरण की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति प्रावधानित करती हैं कि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अन्दर अनुज्ञापन शुल्क⁹ (अ0शु0)/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क¹⁰ (बे0अ0शु0) की सम्पूर्ण धनराशि, प्रतिभूति¹¹ धनराशि का आधा 10 कार्यदिवस के अन्दर एवं शेष धनराशि 20 कार्यदिवस के अन्दर जमा करना होगा। 2017-18 के लिए आबकारी नीति, यह भी प्रावधानित करती हैं कि दुकानों के नवीनीकरण के मामले में, अ0शु0/बे0अ0शु0 का आधा आवेदन के समय जमा किया जायेगा, प्रतिभूति धनराशि का आधा दुकान के नवीनीकरण के 10 दिन के अन्दर एवं अ0शु0/बे0अ0शु0 तथा प्रतिभूति जमा की शेष राशि 15 मार्च 2018 के पूर्व जमा किया जायेगा। विफलता के मामले में, दुकान का नवीनीकरण/व्यवस्थापन निरस्त कर दिया जायेगा और जमा अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति की धनराशि समपहृत की जायेगी और इन दुकानों का पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 2012-13 के प्रस्तर 3.8.8.1 में उजागर किये गये समान मामले पर, लोक लेखा समिति ने शासन को संस्तुति (मई 2015) किया कि चूककर्ता अनुज्ञापियों के विरुद्ध कार्यवाही करें एवं यह सुनिश्चित करें कि समान अनियमितता भविष्य में न दोहरायी जाय।

लेखापरीक्षा ने 10 जिला आबकारी कार्यालयों (जि0आ0का0) के अभिलेखों की नमूना जाँच की, और देखा (अक्टूबर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) कि 10 जनपदों में 5,367 मदिरा की दुकानों में से 540 अनुज्ञापियों (10.06 प्रतिशत), जो कि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान व्यवस्थित या नवीनीकृत की गयी, ने प्रतिभूति जमा एवं अ0शु0/बे0अ0शु0 की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किया। विभागीय अभिलेखों (दुकानों के व्यवस्थापन के लिए निर्धारित जी-12 रजिस्टर) की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा विशेष रूप से इसमें जमा की देय तिथि, जमा की वास्तविक तिथि, विलम्ब से जमा अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा इत्यादि की जाँच की और पाया कि लाइसेंस जारी करने के समय अनुज्ञापियों द्वारा अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा की केवल आंशिक धनराशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा किया गया था। विलम्ब¹² की अवधि एक से 275 दिनों की थी। तथापि सम्बन्धित जि0आ0का0 द्वारा नियमों के अन्तर्गत जिसमें कोई छूट अनुमन्य नहीं थी कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। देय धनराशि के जमा में देरी पर निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 15.29 करोड़ (अ0शु0/बे0अ0शु0 ₹ 8.41 करोड़ एवं प्रतिभूति जमा ₹ 6.88 करोड़) की धनराशि समपहृत नहीं हुई जैसा कि परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को विभाग को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उत्तर (जून, 2020) में, विभाग ने 40 दुकानों के मामले में ₹ 71.62 लाख की धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और शेष 500 दुकानों के लिए

⁹ अ0शु0- ₹ 226 प्रति बी0एल0 (2017-18) एवं ₹ 222 प्रति बी0एल0 (2018-19)।

¹⁰ बे0अ0शु0- ₹ 25 प्रति बी0एल0 (2017-18) एवं ₹ 28 प्रति बी0एल0 (2018-19)।

¹¹ दुकान के लिये निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क का 10 प्रतिशत।

¹² 15 दिनों तक विलम्ब, दुकानें-225, धनराशि- ₹ 3.37 करोड़; 16 से 30 दिनों के मध्य विलम्ब, दुकानें-118, धनराशि- ₹ 1.58 करोड़; तथा 30 दिनों से अधिक विलम्ब, दुकानें-197, धनराशि- ₹ 10.34 करोड़।

विभाग ने बताया कि दुकानों का व्यवस्थापन बहुत समय लगने वाली प्रक्रिया थी और बैंकों द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्टों के बिलम्ब से निकासी करने, बैंकों द्वारा देर से चालान जारी करने आदि के कारण अ0शु0/बे0अ0शु0 बिलम्ब से जमा किए गये। प्रतिभूति जमा में देरी के संबंध में, विभाग द्वारा बताया गया कि प्रतिभूति जमा विभाग के लिए राजस्व नहीं है परन्तु यह अनुज्ञापी की ओर से राजस्व के किसी भी संभावित नुकसान के मामले में राज्य के राजस्व को सुरक्षित करने का एक साधन है। विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा की देय तिथि एवं वास्तविक जमा की तारीख जैसा कि विभाग द्वारा बनाए गये जी-12 रजिस्टर में दर्ज किया गया, और लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किए गये, से यह स्पष्ट होता है कि अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के भुगतान में बिलम्ब हुआ है। अग्रेतर, अपने तर्क के समर्थन में, लेखापरीक्षा को कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। इसलिए, लेखापरीक्षा टिप्पणी करने में असमर्थ है कि विलम्ब अनुज्ञापी स्तर पर हुआ है या स्वयं विभाग के स्तर पर। राज्य के आबकारी नीति में, यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा को जमा नहीं किया जाता है तो इसको जब्त किया जाना है और लोक लेखा समिति ने इसी तरह की संस्तुति (मई 2015) शासन को दी थी।

संस्तुति :

विभाग को राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिये, अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

2.5 आबकारी नीति 2018-19 में विसंगति के कारण अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की हानि

आबकारी नीति 2018-19 में विसंगति के कारण भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) की 3.58 करोड़ छोटी बोतलों पर ₹ 4.01 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की हानि हुई थी।

भा0नि0वि0म0 के अधिकतम फुटकर मूल्यों (एम0आर0पी0) का निर्धारण सरकार द्वारा वर्षवार निर्गत आबकारी नीतियों में प्रदान किये गये सूत्रों के अनुसार किया जाता है। आबकारी नीति 2018-19 में निर्धारित किया है कि सूत्र द्वारा आगणित एम0आर0पी0 यदि दस के गुणांक में नहीं है, तो एम0आर0पी0 को अगले दस रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में देय होगी। एम0आर0पी0 के विभिन्न घटकों (पूर्व आसवनी कीमत (ई0डी0पी0), प्रतिफल शुल्क, थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेता का मार्जिन) के किसी स्तर पर गणना/जोड़ने में अनियमितता, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क पर प्रभाव डालती है जो राज्य के राजकोष में एम0आर0पी0 के अगले दस रूपये पर पूर्णांकित होने से जमा होती है।

आबकारी नीति 2018-19 ने निर्धारित किया है कि भा0नि0वि0म0 की 750 एम0एल0 के बोतलों की प्रतिफल शुल्क की गणना पहले की जायेगी और तदोपरान्त छोटी बोतलों की प्रतिफल शुल्क की गणना समानुपातिक आधार पर की जायेगी। तथापि, छोटी बोतलों की ई0डी0पी0 की गणना के लिए, यह निर्धारित किया गया कि 750 एम0एल0 की बोतलों की ई0डी0पी0 की गणना पहले की जायेगी और तदोपरान्त छोटी बोतलों की ई0डी0पी0 की गणना समानुपातिक आधार (750 एम0एल0 की बोतल से बनने वाली छोटी बोतलों की पूर्ण संख्या के अनुसार) पर 750 एम0एल0 की ई0डी0पी0 में ₹ 2/ ₹ 3 (375 एम0एल0/180 एम0एल0) को जोड़ कर की जायेगी।

आबकारी नीति के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, भा0नि0वि0म0 की 180 एम0एल0 की बोतलों पर प्रतिफल शुल्क का संग्रहण बोतल में मदिरा की वास्तविक मात्रा पर किया गया (जैसे 750 एम0एल0 की बोतल की प्रतिफल शुल्क *180/750) जबकि 180

एम0एल0 की बोतलों की ई0डी0पी0 की गणना के समय, 750 एम0एल0 की बोतल की ई0डी0पी0 में ₹ 3 जोड़कर और फिर उसे चार से भाग देकर ई0डी0पी0 निर्धारित की गयी। इस प्रकार, 180 एम0एल0 की बोतलों के लिए, आसवक को 187.5 एम0एल0 की ई0डी0पी0 प्राप्त हुई (750 एम0एल0 को 4 से विभाजित करके) परन्तु मात्र 180 एम0एल0 की प्रतिफल शुल्क का भुगतान किया गया।

आबकारी नीति की इस विसंगति के प्रभाव ने निजी आसवकों के लाभ में अनुचित वृद्धि कर दी तथा राजकोष तदनु रूप अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा ने 2018-19 में सहायक आबकारी आयुक्त, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, मेरठ के कार्यालय के सभी सात ब्रांड अनुमोदन फाइलों के अभिलेखों की जाँच की, और पाया (मार्च 2019) कि 180 एम0एल0 की बोतलों पर अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क आरोपित करने के बजाय, आसवक के पक्ष में ई0डी0पी0¹³ की अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य किया परिणामस्वरूप आसवक को 3.58 करोड़ छोटी बोतलों की बिक्री पर ₹ 4.01 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-III** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल, 2019)। उत्तर (जून, 2020) में, विभाग ने बताया कि 180 एम0एल0 की बोतलों की ई0डी0पी0 की गणना आबकारी नीति 2018-19 के अनुसार की गयी थी। तथ्य यही है कि आबकारी नीति में विसंगति के परिणामस्वरूप अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में ₹ 4.01 करोड़ की क्षति हुई। पूर्व में, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, 'मदिरा के उत्पादन और बिक्री के मूल्य निर्धारण' पर नि0म0ले0प0 के प्रतिवेदन में समान लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर प्रतिवेदित प्रस्तर 4.2.1 पर, विभाग ने स्वीकार एवं आश्वस्त किया (जुलाई 2018), कि आबकारी नीति में संशोधन के माध्यम से विसंगति को दूर किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस विसंगति को आबकारी नीति 2019-20 में सुधार लिया गया है।

¹³ 180 एम0एल0 के बजाय 187.5 एम0एल0 की ई0डी0पी0 की गणना।